संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 1649 भोपाल, दिनांक 22 .09.2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– कोविड–19 के मरीजों को निजी चिकित्सालय में उपचार उपलब्ध कराने के संबंध में।

—0—

कोविड–19 के परिदृश्य में मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इनमें से लक्षण रहित तथा कम लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन तथा सी.सी.सी. में उपचार दिया जा रहा है। परंतु गंभीर लक्षणों वाले तथा Comorbid मरीजों को उपचार हेतु ऑक्सीजन दिया जाना आवश्यक होता है। वर्तमान में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु प्रदेश की निजी चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों को ऐसे गंभीर मरीजों के उपचार हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

अतः उपरोक्त संबंध में निर्देशित किया जाता हैं कि जिन निजी चिकित्सालयों में कोविड–19 के मरीजों को पृथक से रखे जाने की सुविधा है तथा ऑक्सीजन बिस्तर उपलब्ध है, ऐसे चिकित्सालय अपनी संस्था में कोविड–19 के मरीजों को उपचार प्रदान कर सकते है। ऐसे चिकित्सालय जिलें की व्यवस्था के अनुसार कोविड–19 रोगियों की समस्त जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रदान करेगें तथा जिला प्रशासन को सूचित करेंगे। निजी चिकित्सालयों को कोविड–19 के मरीजों को उपचार देने हेतु पृथक से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

<u>अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित</u>

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 1650 भोपाल, दिनांक 22 / 09 / 2020

प्रतिलिपिः–कृपया सूचनार्थ :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन म.प्र।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र।
3. मिशन संचालक एन.एच.एम. म.प्र.।
4. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र. ।
5. संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. ।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य म.प्र. ।
7. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी म.प्र. ।
8. प्रभारी कोविड 19 नियंत्रण कक्ष संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. ।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ हेतु।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश